काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (काटसा)

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा

संदर्भ

- हाल ही में, अमेरिकी सांसद ने भारत को काटसा से छूट दिए जाने की मांग उठाते हुए उल्लिखित किया कि भारत ने सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता के दृष्टिगत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रूस से हथियारों की खरीद की है।
- साथ ही, भारत द्वारा रूस से हथियारों की खरीद अमेरिका तथा भारत-अमेरिकी रक्षा साझेदारी के हित में है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध पर अस्पष्टता

- यद्यपि, बिडेन प्रशासन ने अभी तक स्पष्ट वक्तव्य जारी नहीं किया है कि क्या भारत को सीएएटीएसए के तहत प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है।
- विदित है कि भारत ने 2021 के अंत में रूस से हथियार प्राप्त करना शुरू कर दिया था।
- रूल्स कमेटी प्रिंट 117-54 में प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, 'भारत को रूसी हथियारों की खरीद के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अमेरिका को अतिरिक्त कदम उठाना चाहिए। साथ ही, अमेरिका को भारत की मौजूदा रक्षा आवश्यकताओं का भी समर्थन करना चाहिए।

काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट (CAATSA)

- काटसा से आशय 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट' है।

- काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (काटसा) के माध्यम से अमेरिका उन देशों पर कठोर प्रतिबंध लगाता है, जो ईरान, उत्तर कोरिया अथवा रूस से व्यापक पैमाने पर व्यवसाय करते हैं।
- सरल शब्दों में व्याख्या किया जाये तो इस प्रतिबंध के जरिए अमेरिका अपने विरोधियों से मुकाबला करता है।
- अमेरिका ने इस कानून को अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ एक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में बनाया है।
- यह कानून पहली बार दो अगस्त 2017 को लाया गया था, जिसके बाद इसे जनवरी 2018 में लागू किया गया था।

भारत-रूस रक्षा संबंध और काटसा

- वर्ष 2018 में भारत ने रूस से पाँच एस-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीदने के समझौते पर सहमति बनी थी।
- एस-400 रूस का बेहद आधुनिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी तुलना अमेरिका के बेहतरीन पैट्रिअट मिसाइल एयर डिफ़ेंस सिस्टम से होती है।
- भारत और रूस के मध्य समझौत 5.43 अरब डॉलर में सम्पन्न हुआ था।
- एस-400 को दुनिया का बेहद प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मनों के मिसाइल हमले को रोकने में सक्षम है।
- विदित है कि यह वही मिसाइल सिस्टम है, जिसका सौदा करने पर ट्रंप प्रशासन ने दिसंबर, 2020 में तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका ने भारत और रूस के बीच हुए सौदे पर भी प्रश्न उठाए थे।
- कानून की धारा 231 39 रूसी संस्थाओं को अधिसूचित करती है, जिसमें रोसोबोरोनएक्सपोर्ट, सुखोई एविएशन, रूसी विमान निगम मिग जैसी सभी प्रमुख रक्षा कंपनियां शामिल हैं, जिनके साथ लेन-देन से प्रतिबंधों की संभवना बन सकती है।
- यद्यपि, काटसा का अनुप्रयोग S-400 तक सीमित नहीं है, और इसमें भविष्य में हथियारों के निर्माण या विकास के लिए अन्य संयुक्त उद्यम या रूस के साथ किसी अन्य प्रकार के प्रमुख समझौते शामिल हो सकते हैं।

अमेरिका ने काटसा को प्रभावी क्यों किया?

- अमेरिका ने 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित हस्तक्षेप और सीरियाई युद्ध में उसकी भूमिका के मुद्दों को इसके साथ जुड़ाव को दंडित करने के कुछ कारणों के रूप में चिह्नित किया।
- 2022 में यूक्रेन -रूस संघर्ष से पहले तेल और गैस आपूर्ति के लिए रूस के साथ और भी महत्वपूर्ण संबंध रखने वाले फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय संघ के देशों ने भी सीएएटीएसए की आलोचना की थी।
- फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई नीति "अतिरिक्त-क्षेत्रीय पहुंच के कारण अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है"।
- ट्रंप प्रशासन ने दिसंबर, 2020 में एस-400 प्रणाली की खरीद को लेकर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था

निष्कर्ष

- अमेरिका ने कभी भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि क्या काटसा भारत पर प्रभावी होगा।
- वर्तमान में भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भागीदार है और अमेरिका पारस्परिक साझेदारी को आगे बढ़ाने को महत्व देता हैं
- विदित है कि भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में रूस के खिलाफ सख्त रुख रखते हुए, अपनी तटस्थता नीति को जारी रखा था और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के खिलाफ लगाए गए किसी भी प्रतिबंध में शामिल नहीं हुआ था।
- भारत पहले भी कई बार अपनी सीमा सुरक्षा के लिए एस-400 मिसाइलों की आवश्यकता का उल्लेख कर चुका है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु भारत, यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चयनित

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रक्षा

संदर्भ

- भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु 2022-2026 अवधि के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति का सदस्य चयनित किया गया है।
- विदित है कि अंतर सरकारी समिति के लिए ये चुनाव 2003 कन्वेंशन की 9वीं महासभा के दौरान 5 से 7 जुलाई 2022 को पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में सम्पन्न हुआ।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

चयन

- एशिया-प्रशांत समूह के भीतर रिक्त चार सीटों के लिए भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड इन छह देशों ने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी।
- यहां उपस्थित और मतदान कर रहे 155 देशों के दलों की ओर से भारत को 110 मत प्राप्त हुए।

इससे पूर्व भारत का चयन

- भारत ने 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार आईसीएच समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।

- ध्यातव्य है कि इससे पहले कोलकाता में दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को उन प्रथाओं, अभिव्यक्तियों, ज्ञान और कौशल के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिन्हें समुदाय, समूह तथा कभी-कभी व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचान करता है।
- इन्हे जीवित सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी उल्लेख किया जाता है।

किन रूपों में अभिव्यक्त

- इसे सामान्यतः निम्नलिखित रूपों में से एक में अभिव्यक्त किया जाता है:
    - मौखिक परंपराएँ
    - कला प्रदर्शन
    - सामाजिक प्रथाएँ
    - अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम
    - प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास
    - पारंपरिक शिल्प कौशल

अभिसमय हेतु भारत के चयन का निहितार्थ

- यह भारत में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने, अमूर्त विरासत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रगाढ़ करने, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों के साथ अभिसमय के कार्य को संरेखित करने में सहायता करेगा।
- भारत जीवित विरासत की विविधता और महत्त्व को उचित ढंग से प्रदर्शित करने के लिये अभिसमय के लिये राज्य के भीतर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।

अमूर्त विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को का अभिसमय

- अंगीकार और प्रभावी

- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा वर्ष 2003 में अंगीकार किया गया था, जो वर्ष 2006 में प्रभावी हुआ।

- सदस्य
  - वर्ष 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 24 सदस्य होते हैं।
  - इसे समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार कन्वेंशन की आम सभा में चयनित किया जाता है।
  - इस समिति के सदस्य देश चार वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं।

- अंतर सरकारी समिति के कार्य
  - इस अंतर सरकारी समिति के कुछ मुख्य कार्यों में कन्वेंशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को लेकर मार्गदर्शन देना और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के उपायों पर सुझाव देना शामिल है।
  - ये समिति अपनी सूचियों में अमूर्त विरासत को शामिल करने के राष्ट्र दलों के अनुरोधों और साथ-साथ कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के प्रस्तावों का भी परीक्षण करती है।

- अमूर्त विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को का अभिसमय और भारत
  - भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की पुष्टि की।
  - ध्यातव्य है कि इस कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले सबसे शुरुआती राष्ट्र दलों में से एक के रूप में भारत ने अमूर्त विरासत से संबंधित मामलों के प्रति विशेषतः प्रतिबद्धता प्रकट की है और अन्य राष्ट्र दलों को इसकी पुष्टि करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया है।

- आईसीएच और भारत का कार्यकाल
  - भारत ने इस कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के सदस्य के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए हैं।
  - पहला 2006 से 2010 तक और दूसरा 2014 से 2018 तक।

- वर्तमान में आईसीएच में भारत की सदस्यता संबद्ध मुद्दे
  - अपने 2022-2026 के कार्यकाल के लिए भारत ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट विज़न निर्मित किया है।

- भारत जिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, उनमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, अमूर्त विरासत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और कन्वेंशन के कार्यों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप मिलाना शामिल है।
- इस विज़न को चुनाव से पहले कन्वेंशन के अन्य राष्ट्र दलों के साथ भी साझा किया गया था।

- भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
  - मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 14 धरोहरों के साथ भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी उच्च स्थान पर है।
  - 2021 में दुर्गा पूजा को इसमें शामिल किए जाने के बाद भारत ने 2023 में विचार किए जाने के लिए गुजरात के गरबा का नामांकन प्रस्तुत किया था।

भारत के लिए अवसर

- अंतर सरकारी समिति के एक सदस्य के रूप में भारत के पास 2003 के कन्वेंशन के कार्यान्वयन पर प्रभावी निगरानी रखने का अवसर प्राप्त होगा।
- इस कन्वेंशन की सीमा और प्रभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत अमूर्त विरासत को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखने के लिए दुनिया भर में विभिन्न कारकों की क्षमता को एकत्र करने की इच्छा रखता है।
- इस कन्वेंशन की तीन सूचियों-अर्थात, तत्काल सुरक्षा सूची, प्रतिनिधि सूची और सुरक्षा की अच्छी प्रथाओं का रजिस्टर में धरोहरों के असंतुलन के दृष्टिगत भारत प्रयास करेगा कि जीवित विरासत की विविधता और महत्व को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने के लिए कन्वेंशन में राष्ट्र दलों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को प्रोत्साहित किया जा सके।

स्रोत: द हिन्दू